अरुण देव उपाध्याय

बनाम

इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड और एएनआर.

2016 की सिविल अपील संख्या 8475-76

सितम्बर 30, 2016

(न्यायमूर्तिगण दीपक मिश्रा व सी. नागप्पन)

उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभागः धारा 13;1द्ध अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता- विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में लेटर्स पेटेंट अपील की पोषणीयता-अभिनिर्धारितः वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 लेटर्स पेटेंट के अधीन अपील पर रोक लगाती है जब तक कि अधिनियम 1996 के अधीन अपील प्रदान नहीं की जाती है। धारा 13 को अधिनियम की धारा 5 के साथ समेकित कर पढ़ा जाना चाहिए। धारा 5 में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि एक फोरम अर्थात् वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग बनाया गया है- यदि अधिनियम 1996 की धारा 50 में अपील का प्रावधान नहीं है तो लेटर्स पेटेंट अपील लागू नहीं की जा सकती है- लेकिन यह अपील का प्रावधान करती है- अधिनियम 1996 की धारा 50 में प्रावधान है कि यदि अधिनियम 1996 की धारा 45 के अधीन पक्षकारों को

मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने या उक्त अधिनियम की धारा 48 के अधीन परिकल्पित एक विदेशी को लागू करने से इनकार करते हुए कोई आदेश पारित किया गया है- तो अपील की जा सकती है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 5 और 13 का सार अध्ययन और अधिनियम 1996 की धारा 50, जो अपरिवर्तित रही है, इस प्रबल निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि एक लेटर्स पेटेंट अपील खण्ड पीठ के समक्ष विचारणीय है- इसे अधिनियम 1996 की धारा 50;1(बी) के अधीन एक अपील के रूप में माना जाना चाहिए और उक्त मापदंडों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996- धारा 50- अपील लेटर पेटेंट अपील- महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ;खण्ड पीठ द्वारा रिट याचिकाओं की सुनवाई और लेटर पेटेंट अपील का उन्मूलनद्ध अधिनियम, 1896- धारा 3;(1)

न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया।

अधिनियम 1996 की धारा 50 से दर्शित होता है कि यदि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से या उक्त अधिनियम की धारा 48 के अधीन परिकल्पित एक विदेशी को लागू करने से इनकार करने वाला आदेश पारित किया जाता है तो अधिनियम 1996 की धारा 45 के अधीन अपील की जा सकती है। वर्तमान मामले में जिला न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरानए अधिनियम 1996 की धारा 47 की धारा ;2द्ध के स्पष्टीकरण में संशोधन किया

गया। संशोधन के बावजूद जिला न्यायाधीश ने आदेश पारित कर दिया. हालाँकि, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का रुख किया और एकल न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि जिला न्यायाधीश के पास ;संशोधन के मद्देनजरद्ध कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और उसके बाद एकल न्यायाधीश ने मामले को ग्रहण किया और आदेश पारित किया। खंडपीठ ने आक्षेपित आदेश में अधिनियम की धारा 13;1 का उल्लेख किया है। धारा 13;1 के अवलोकन से दर्शित होता है कि यदि अपील अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है तो अपील की जा सकती है। उक्त प्रावधान को अधिनियम की धारा 5 के साथ संयोजित कर पढ़ा जाना चाहिए। धारा 5 स्पष्ट रूप से बताती है कि एक फोरम, अर्थात् वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग बनाया गया है।

अधिनियम 1996 की धारा 50;1(बी) अपील का प्रावधान करती है। दिनांक 23.10.2015 को लागू किये गये अधिनियम द्वारा धारा 50;1(बी) में संशोधन नहीं किया गया है। इस प्रकार, खण्ड पीठ के समक्ष अधिनियम 1996 की धारा 50;1(बी) के अधीन अपील सुनवाई योग्य है। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, अधिनियम 1996 की धारा 50;1 (बी) के अधीन एकल न्यायाधीश का आक्षेपित निर्णय उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में पारित हो गया है। बहरहाल, अधिनियम की धारा 13 के अधीन एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय लिया है। धारा 13 लेटर्स पेटेंट के अधीन अपील पर रोक लगाती है जब तक कि अधिनियम 1996 के अधीन अपील प्रदान

नहीं की जाती है। ऐसी अपील अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रदान की जाती है। लेटर्स पेटेंट अपील लागू नहीं की जा सकती थी यदि अधिनियम 1996 की धारा 50 में अपील का प्रावधान नहीं होता। लेकिन यह अपील का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 5 और 13 तथा अधिनियम 1996 की धारा 50, जो अब तक संशोधित नहीं हुई है, का एक व्यापक अध्ययन इस प्रबल निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि एक लेटर्स पेटेंट अपील खण्ड पीठ के समक्ष पोषणीय है। इसे अधिनियम 1996 की धारा 50;1(बी) के अधीन एक अपील के रूप में माना जाना चाहिए और उक्त मापदंडों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। खपैरा 13, 20, 21, 22, 24, ख् 984-एफ-जीय 990-ए, सी-डी, जीय 991-बी-ई,

पदमश्री पुरूषोत्तम व्यास व अन्य बनाम तुषार धनसुखलाल शाह 2016 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 255 य फ्यूरेस्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड; 2011 (8) एससीसी 333: 2011(11) एससीआर 1: जमशेद एन. गुजदार बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य ; 2005 (2) एससीसी 591 रू 2005 (1) एससीआर 223 य जेट एयर;इण्डिया लिमिटेड बनाम सुब्रता रॉय सहारा 2011 एससीसी ऑनलाइन बॉम 1379 य शिन-एत्सु केमिकल कम्पनी लिमिटेड ; (2) व अन्य बनाम विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड और अन्य. ; 2009 14 एससीसी 16 य निरमा लिमिटेड बनाम लुर्गी लेंटजेस एनर्जीटेक्निक जीएमबीएच और अन्य. ; 2002 5 एससीसी 520 रू 2002 ; (3) एससीआर 911 य आईटीआई

लिमिटेड बनाम सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशंस नेटवर्क लिमिटेड ; 2002 (5) एससीसी 510 रू 2002 ; (3) एससीआर 1122 य श्याम सुंदर अग्रवाल एंड कंपनी बनाम भारत संघ ; 1996) 2 एससीसी 132 रू 1996 (1) एससीआर 245 य पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम केवल सिंह ढिल्लों ; 2008) 10 एससीसी 128 रू 2008 ; (12) एससीआर 569 य पी.एस. सथप्पन ; मृत लार्स द्वारा बनाम आंध्रा बैंक लिमिटेड और अन्य ;2004 (11) एससीसी 672 रू 2004 : (5) पूरक एससीआर 188 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहिंदरा सप्लाई कंपनी एआईआर 1962 एससी 256 रू;1962 द्ध 3 एससीआर 497 संदर्भित है।

न्यायिक दृष्टांत संदर्भ

2011 (11) एससीआर 1	संदर्भित	पैरा 6
2005(1) एससीआर 223	संदर्भित	पैरा 10
2009 (14) एससीसी 16	संदर्भित	पैरा 13
2002 (3) एससीआर 911	संदर्भित	पैरा 14
2002 (3) एससीआर 1122	संदर्भित	पैरा 14
1996 (1) एससीआर 245	संदर्भित	पैरा 14
2008 (12) एससीआर 569	संदर्भित	पैरा 14
2004 (5) पूरक एससीआर 188	संदर्भित	पैरा 15
1962 (3) एससीआर 497	संदर्भित	पैरा 17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 8475-8476 वर्ष 2016.

बॉम्बे उच्च न्यायालय की बॉम्बे नागपुर के नागपुर बेंच के वर्ष 2016 के सी. ए. एम. संख्या 34 की मध्यस्थता अपील संख्या 3 वर्ष 2016 मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 23.06.2016 से

अधिवक्तागण अनीश कपूर, सुश्री दिव्या भल्ला, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन अपीलार्थी की तरफ से ।

अधिवक्तागण बलबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, गगन संघी, डी. वी. चौहान, एम बारठ, रामेश्वर प्रसाद गोयल-उत्तरदाता की तरफ से ।

न्यायालय द्वारा निर्णय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के द्वारा पारित किया गया

1. बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच, नागपुर की खण्ड पीठ द्वारा वर्ष 2016 सी. ए. एम. संख्या 34 में मध्यस्थता अपील संख्या 3 की अपील में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करने व दिनांक 15.07.2016 के आदेश में सिविल विविध आवेदन ;पुनर्विलोकनद्ध को सुने जाने में अरुचि दिखाने के पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 से व्यथित होकर विशेष अनुमति से दायर हस्तगत अपील को प्राथमिकता दी गई है।

2. अपील के न्यायनिर्णयन के लिए बताए जाने वाले प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ;संक्षेप में अधिकरणद्ध द्वारा आई सी डी आर केस संख्या 50-181-टी-00327-09 में प्रथम प्रतिवादी के पक्ष में एक पंचाट पारित करते हुए डीएमसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स लिमिटेड और अन्य को संयुक्त रूप से और पृथक्-पृथक् पंचाट पारित होने की तारीख से दस दिनों के भीतर 6,948,100 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया।

3. प्रतिवादी का मामला यह है कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाट ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया क्योंकि अपीलकर्ता ने इसे डेलावेयर कानून के अधीन चुनौती नहीं दी है जो कि प्रवृत्त विधि है। 29.04.2010 को, प्रथम प्रतिवादी ने जिला न्यायाधीश, नागपुर के समक्ष पंचाट को लागू करवाने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ;संक्षेप में, ष्अधिनियम 1996 की धारा 47 और 49 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया और संबंधित जिला न्यायाधीश ने मध्यस्थता और सुलह ;संशोधन अधिनियम, 2015 ;संक्षेप में, अधिनियम 2015 : 23 अक्टूबर 2015 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक के मामले में मूल क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था, के लागू होने से पहले तक कार्यवाही जारी रखी। अधिनियम 2015 लागू होने के बाद, प्रथम प्रतिवादी ने पंचाट के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष विविध दीवानी आवेदन संख्या 1319 वर्ष 2015 प्रस्तुत किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने अंतिम आदेश

दिनांक 18.04.2016 द्वारा यह माना कि दिनांक 28.03.2010 का पंचाट डीएमसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स लिमिटेड के खिलाफ लागू करने योग्य था और पंचाट के संदर्भ में इसके खिलाफ एक डिक्री पारित की। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह राय दी कि यह पंचाट अन्य प्रतिवादियों के विरूद्ध भारत में लागू करने योग्य नहीं था क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण उनके खिलाफ फैसला पारित नहीं कर सकता था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त राय इस प्रकार हैरू.

(1) दिनांक 28.3.2010 को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा आईसीडीआर केस संख्या 5018 टी0032709 में पारित किया गया पंचाट भारत में उस सीमा तक अप्रवर्तनीय हो जाता है, जहाँ तक यह अनावेदक संख्या 2-अरुण देव पुत्र गोविंद विष्णु उपाध्याय और संख्या 3 जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ संचालित होता है और उक्त पंचाट के संबंध में उनके विरूद्ध डिक्री पारित करने का दावा अस्वीकार कर दिया जाता है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा आईसीडीआर केस संख्या 50181 टी 0032709 में पारित किया गया पंचाट, अनावेदक संख्या 1-डीएमसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स लिमिटेड के खिलाफ लागू होने की सीमा तक, भारत में प्रवर्तनीय किया गया और पंचाट की शर्तों के अनुसार अनावेदक संख्या 1 के विरूद्ध पारित की गयी।ष्

4. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से असंतुष्ट होकर, प्रथम प्रतिवादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 सपठित अधिनियम 1996 की धारा 50;1(बी) के अधीन अपील की, जो मध्यस्थता अपील संख्या 3 वर्ष 2016 के रूप में पंजीकृत हुई।

5. यहां अपीलकर्ता, जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी था, ने आवेदन सी.ए.एम. संख्या 34 वर्ष 2016 प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि लेटर्स पेटेंट अपील के उन्मूलन ;खण्ड पीठ द्वारा रिट याचिकाओं की सुनवाई और लेटर पेटेंट अपीलों का उन्मूलनद्ध अधिनियमए 1986 ; संक्षेप में, अधिनियम 1986 की धारा 3(1) को देखते हुए अपील सुनवाई योग्य नहीं थी। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने पदमश्री पुरूषोत्तम व्यास और अन्य बनाम तुसार धनसुखलाल शाह मामले में दिए गए पहले डिवीजन ई बेंच के फैसले पर भरोसा करते हुए उक्त तर्क को खारिज कर दिया और राय दी कि अपील सुनवाई योग्य है ।

6. प्रारंभिक आपत्ति खारिज होने के बाद अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका विविध दीवानी आवेदन ; पुनर्विलोकन संख्या 688 वर्ष 2016 के द्वारा फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एफ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के फैसले को न्यायालय के ध्यान में लाया गया, विशेष रूप से पैराग्राफ 74, 75, 76 और 89 पर भरोसा किया और इस बात को प्रतिपादित किया गया कि खंड 10 के अधीन लेटर पेटेंट अपील मध्यस्थता मामलों में उपलब्ध

नहीं थी और उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग की धारा 13 ;संक्षेप में अधिनियम मध्यस्थता अपील पर लागू नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने अधिनियम 1996 की धारा 50 (1) और लेटर्स पेटेंट की धारा 15 के अधीन फोरम के संविधान में इस्तेमाल की गई भाषा पर ध्यान दिया और राय दी कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ बिल्कुल अस्थिर थीं। इस दृष्टिकोण के आधार पर ए खण्ड पीठ ने पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया। जैसा कि पहले कहा गया है, इन दोनों आदेशों को विशेष अनुमति द्वारा दोनों अपीलों में चुनौती दी गई है।

7. हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता श्री अनीश कपूर और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादी श्री बलवीर सिंह को सुना।

8. सबसे पहले हम तुसार धनसुखलाल शाह (सुप्रा) के फैसले का उल्लेख करेंगे क्योंकि खण्ड पीठ ने विवादित आदेश में उसी पर भरोसा जताया है। उक्त मामले में, जो प्रश्न उठाया गया वह इस प्रकार है

एकमात्र प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है क्या इस न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार पर इंट्रा-कोर्ट लेटर पेटेंट अपील इस न्यायालय में पोषणीय हैं, इस न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में दायर किए गए मुकदमों या अन्य कार्यवाहियों के संबंध में कायम रखने योग्य हैं।

9. उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, न्यायालय ने अधिनियम 1986 की धारा 2 और 3 का उल्लेख किया। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैं.

(2). तत्समय लागू किसी भी विधि में या विधि का बल रखने वाले किसी भी लिखत में किसी भी बात के होते हुए भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किसी भी निर्देश, आदेश या याचिका जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन और इसका आहवान करने वाला प्रत्येक आवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 या अनुच्छेद 228 के अधीन उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, या उक्त तिथि को या उसके बाद दायर किया गया है, चाहे विवादग्रस्त मामला ग्रेटर बॉम्बे में या ग्रेटर बॉम्बे के बाहर उत्पन्न हुआ हो, की सुनवाई और निपटान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त की जाने वाली खण्ड पीठ द्वारा किया जाएगाः बशर्ते, उच्च न्यायालय, पिछले प्रकाशन के बाद और राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ बनाए गए नियमों द्वारा, यह निर्धारित कर सकता है कि ग्रेटर बॉम्बे या ग्रेटर बॉम्बे के बाहर उत्पन्न होने वाले उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदनों में से, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई और निपटान किया जा सकता है।

3.(1) 28 दिसंबर, 1985 को बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट में और कानून के बल वाले किसी भी अन्य उपकरण में

या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, न ही किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही ;धारा 2 में निर्दिष्ट आवेदन सहितद्ध से उत्पन्न होने वाली अपील चाहे इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में स्थापित या शुरू किया गया होए इस अधिनियम के शुरू होने पर या उसके बाद किए गए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले डिक्री या आदेश से उच्च न्यायालय में आगए चाहे उच्च न्यायालय के मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हो।

10. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने जमशेद एन. गुज़दार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि इस न्यायालय के समक्ष, महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश वकील ने पाया था कि धारा 3 में विसंगति थी। अधिनियम 1986 और तदनुसार एक रियायत दी गई जिसे निर्णय के सी पैराग्राफ 18 में नोट किया गया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है।

महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू.यू. ललित ने आक्षेपित फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 में एक विसंगति पैदा हुई है, या कमी पाई गई है, क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 3 को धारा 9 के साथ पढ़ा जाता है। 1987 का अधिनियम अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले से उच्च न्यायालय में लंबित किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही में अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद पारित डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील के लिए कोई प्रावधान करने में

विफल रहता है। उन्होंने इसके लिए इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य से निर्देश के लिए दस दिन का समय मांगा। इसके बाद, प्रमुख सचिव और आरएलए, महाराष्ट्र राज्य के पत्र संख्या 37-पीएफ 2131097 दिनांक 17.12.2004 के आधार पर, आईए संख्या 10 को स्थान देने की अनुमति के लिए दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उक्त पत्र 1986 के महाराष्ट्र अधिनियम 17 की धारा 3 में विधायी संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए महाराष्ट्र राज्य की इच्छा को दर्शाता है, जिसके प्रासंगिक अंश पढ़े गए हैं.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, मुझे यह बताना है कि आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक बयान देने के निर्देश दिए गए हैं कि महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र की धारा 3 ;1 में विधायी संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। 1986 का अधिनियम 17 महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ;खण्ड पीठ द्वारा रिट याचिकाओं की सुनवाई और लेटर पेटेंट अपीलों का उन्मूलन अधिनियम, 1986, उच्च न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर पारित निर्णय, आदेश और डिक्री के खिलाफ अपील का प्रावधान करता है। और उसके बाद जैसा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दर्शाया जा सकता है।

11. उक्त निर्णय के बाद, महाराष्ट्र राज्य ने एक संशोधन लाया, यानी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ;खण्ड पीठ द्वारा रिट याचिकाओं की सुनवाई और लेटर पेटेंट अपीलों का उन्मूलनद्ध संशोधन अधिनियम,

2008 ; (2008 का महाराष्ट्र अधिनियम) संख्या उच्च न्यायालय ने उक्त संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख किया और धारा 3 को पुन: प्रस्तुत किया जो संशोधन के बाद अस्तित्व में आई है। धारा 3 की व्याख्या करते हुए, खण्ड पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी क़ानून के अधीन एक अपील शब्द स्पष्ट रूप से क़ानून के अधीन किसी भी प्रावधान के अधीन प्रदान की गई किसी भी अपील को संदर्भित करता है और जहां ऐसी अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी जाती है, तो उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपील में पारित ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील। इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपील और अन्य अधिनियम जो यह प्रावधान करते है कि इन अपीलों को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुना जाना है, फिर ऐसी अपीलों में पारित आदेश के खिलाफ, लेटर पेटेंट अपील सुनवाई योग्य नहीं है। यहां फिर से, उन अपीलों के बीच अंतर करना होगा जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के अलावा जिला न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों से दायर की गई हैं। ऐसी अपीलें जो जिला न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दायर की गई हैं, की सुनवाई इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसे आदेशों के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील सुनवाई योग्य नहीं होगी। हालाँकि, जहां याचिका एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाती है इस न्यायालय के क़ानून के अधीन किसी भी प्रावधान के अधीन, ऐसे आदेश के खिलाफ

अपील अभी भी इस न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष विचारणीय होगी। इसलिए किसी क़ानून से उत्पन्न होने वाली अपील शब्दों का अर्थ निकालते समय इस अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन एक याचिका जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण पुणे शहर में एक निर्णय पारित करता है- अधिनियम के अनुच्छेद 34 के अधीन ऐसी याचिका जिला न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य होगी। धारा 37 के अधीन अपील उच्च न्यायालय में अपीलीय पक्ष के एकल न्यायाधीश के समक्ष विचारणीय होगी। धारा 37 के अधीन एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई लेटर पेटेंट अपील इस न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष दायर नहीं की जा सकती है, जबकि यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण मुंबई शहर में एक पारित करता है, तो धारा 34 के अधीन इस न्यायालय के मूल पक्ष के अधीन एक याचिका दायर की जा सकती है और इसकी सुनवाई इस न्यायालय के मूल पक्ष में बैठे एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

हालाँकि, ऐसे आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष अपील पहले विचारणीय होगा। और यह किसी क़ानून से उत्पन्न होने वाली अपील शब्दों द्वारा वर्जित नहीं होगी। यह ध्यान दिया जाये कि खण्ड पीठ ने जेट एयर ;इंडिया लिमिटेड बनाम सुब्रत रॉय सहारा मामले में पहले के फैसले का हवाला दिया है और निष्कर्ष निकाला है कि मूल क्षेत्राधिकार में दायर किए गए किसी भी मुकदमे या कार्यवाही से उत्पन्न

होने वाली अपील 2008 के संशोधन अधिनियम को देखते हुए सुनवाई योग्य होगी। आक्षेपित आदेश, जैसा कि हम पाते हैं, उपरोक्त निर्णय पर भारी निर्भरता रखते हुए यह राय दी गई है कि लेटर्स पेटेंट अपील कायम रखने योग्य है।

12. महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या किसी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले में एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील खण्ड पीठ में अपील योग्य है या इसे अन्यथा कहें तो क्या इंट्रा-कोर्ट अपील लेटर्स पेटेंट के कारण निर्भर होगी। इस संदर्भ में, अधिनियम 1996 की धारा 50 का उल्लेख करना आवश्यक है, जो अपील का प्रावधान करती है। इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया हैरू.

"50) अपील योग्य आदेश-

(1) निम्नलिखित से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी.

(ए) धारा 45 के अधीन पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने

(बी) धारा 48 के अधीन एक विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए विधि द्वारा न्यायालय को अधिकृत करना।

2) इस धारा के अधीन अपील में पारित आदेश पर कोई दूसरी अपील नहीं की जाएगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित या छीन नहीं लेगा।

13. उपरोक्त प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यदि अधिनियम 1996 की धारा 45 के अधीन पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करने या धारा 48 के अधीन परिकल्पित विदेशी को लागू करने से इनकार करने वाला आदेश पारित किया जाता है तो अपील की जा सकती है। उक्त अधिनियम के. धारा 50 की योजना शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड ;2) और अन्य बनाम विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड और अन्य मामले में इस न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए आई थी, जिसमें इस प्रकार फैसला सुनाया गया थारू.

कुछ विदेशी पंचाट के प्रवर्तन से संबंधित अधिनियम के भाग (1) में धारा 45 और 50, अधिनियम के भाग प् की धारा 8 और 37 के अनुरूप हैं। पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ धारा 50 की उपधारा ;1) अपील का प्रावधान करती है। इसलिए धारा 45 के अधीन, ऐसे आदेश द्वारा अपील सुनने के लिए न्यायालय को विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। अपीलकर्ता ने सिविल न्यायाधीश ;वर्ग (ए) रीवा के आदेशों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रीवा के समक्ष चुनौती दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह न्यायालय सिविल न्यायाधीश ;वर्ग के आदेशों की अपील सुनने के लिए अधिकृत है।

धारा 50 की उपधारा ;2द्ध दूसरी अपील पर रोक लगाती है। इसमें प्रावधान है कि धारा 50 के अधीन अपील में पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। हालांकि, यह स्पष्ट करता है कि धारा 50 में कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा या छीन नहीं लेगा।

14. उक्त मामले में धारा 50 की उप-धारा ;2) पर विश्वास करते हुए एक तर्क दिया गया था कि हालांकि अपील में पारित आदेश से अपील नहीं हो सकती है, उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार विशेष रूप से कहा गया है, अपीलकर्ता उसमें इस न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को इस न्यायालय में अपील करने का अधिकार था। दो न्यायमूर्तिगण की पीठ ने निरमा लिमिटेड बनाम लुर्गी लेंटजेस एनर्जीटेक्निक जीएमबीएच और अन्य, आईटीआई लिमिटेड बनाम सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशंस नेटवर्क लिमिटेड, श्याम सुंदर अग्रवाल एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम केवल सिंह ढिल्लों पर विश्वास जताया और माना:-

(20). उच्चतम न्यायालय में अपील निर्दिष्ट करने का अधिकार अधिनियम की धारा 50;2) में निहित रोक से बाहर रखा गया है, जो उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 132 या 133;1) के अधीन अपील को संदर्भित करता है।

न्यायालय, यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134-ए के अधीन प्रमाणित करता है कि मामले में संविधान की व्याख्या के रूप में विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है या मामले में सामान्य महत्व के कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और उच्च न्यायालय की राय में उक्त प्रश्न का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। अपील करने का अधिकार शब्द संविधान के अधीन या किसी कानून के अधीन निचली न्यायालय के फैसले, डिक्री या आदेश के खिलाफ पूर्व अनुमति या छुट लिए बिना उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए प्रदत्त अधिकार को संदर्भित करता है।

21. अधिकार के रूप में अपील के लिए संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान के अभाव में, अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में अपील इसलिए उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा की गई अपील को अधिकार के रूप में या उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार के अनुसरण में अपील के रूप में नहीं माना जा सकता है।

15. वर्तमान में, हम पी.एस. सथप्पन ;मृत जरिये विधिक प्रतिनिधि बनाम आंध्रा बैंक लिमिटेड और अन्य ए में पारित निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय से उत्पन्न लेटर्स पेटेंट अपील की स्थिरता पर संविधान पीठ विचार कर रही थी। न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के विभिन्न प्रावधानों और कुछ खंडों का उल्लेख

किया मद्रास उच्च न्यायालय के लिए लागू लेटर्स पेटेंट का और बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 का भी उल्लेख किया और माना कि

21. हमारी राय है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के प्रासंगिक हिस्से को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए, इस प्रस्ताव के लिए इस निर्णय पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि खंड 15 के अधीन बॉम्बे हाई कोर्ट के लेटर्स पेटेंट में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ खण्ड पीठ में कोई अपील नहीं की जा सकती है।

22. इस प्रकार 1996 तक सभी न्यायालयों का सर्वसम्मत विचार यह था कि धारा 104;1) सीपीसी ने विशेष रूप से लेटर पेटेंट अपीलों को बचाया और धारा 104;2) के अधीन रोक लेटर पेटेंट अपीलों पर लागू नहीं होती। विचार यह रहा है कि लेटर्स पेटेंट अपील को निहितार्थ से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन लेटर्स पेटेंट के अधीन अपील का अधिकार उचित विधि में एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा छीना जा सकता है। स्पष्ट प्रावधान में ष्लेटर पेटेंटष् शब्दों का उल्लेख या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि प्रावधान को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि आगे की सभी अपीलें वर्जित हैं तो यहां तक कि एक लेटर पेटेंट अपील भी वर्जित होगी।

और फिर

उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट संबंधित एक विशेष कानून है। सिविल प्रक्रिया संहिता सभी न्यायालयों पर लागू होने वाला एक सामान्य कानून है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है, कि एक विशेष कानून और एक सामान्य कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में, विशेष कानून हमेशा लागू रहना चाहिए। हम लेटर्स पेटेंट और धारा 104 के बीच कोई टकराव नहीं देखते हैं, लेकिन अगर लेटर्स पेटेंट और सिविल प्रक्रिया संहिता के बीच कोई विरोधाभास था तो लेटर्स पेटेंट के प्रावधान जब तक कोई विशिष्ट अपवर्जन न हो, हमेशा प्रभावी रहेगा। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 से भी स्पष्ट है, जिसमें प्रावधान है कि संहिता में कुछ भी किसी विशेष कानून को सीमित या प्रभावित नहीं करेगा। जैसा कि सीपीसी की धारा 4 में बताया गया है, केवल इसके विपरीत एक विशिष्ट प्रावधान ही विशेष विधि को बाहर कर सकता है। धारा 100-ए जैसा प्रावधान विशिष्ट प्रावधान होगाष्।

16. फ़्यूरस्ट डे लॉसन लिमिटेड ;सुप्राद्ध में, दो न्यायमूर्तिगण की पीठ इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या एक आदेश, हालांकि अधिनियम 1996 की धारा 50 के अधीन अपील योग्य नहीं है, फिर भी लेटर्स पेटेंट के प्रासंगिक प्रावधान के अधीन अपील के अधीन होगा। उच्च न्यायालय दूसरे शब्दों में, भले ही अधिनियम 1996 आदेश के खिलाफ अपील की परिकल्पना या अनुमति नहीं देता है, फिर भी इससे पीड़ित पक्ष उक्त अधिनियम को दरकिनार कर किसी अन्य क्षेत्राधिकार का सहारा ले

सकता है। उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय ने क्षेत्र के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया जिन्हें नीचे पुन प्रस्तुत किया गया है.

(i) आम तौर पर, एक बार जब कोई अपील उच्च न्यायालय में पहुंचती है तो इसे उच्च न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रियात्मक नियमों के अनुसार और उस चार्टर के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके अधीन उच्च न्यायालय का गठन किया गया है और जो कि उस शक्ति का प्रयोग करने की विधि और तरीके के संबंध में निर्णय की शक्ति प्रदान करता है।

(ii) जब कोई विधि केवल यह निर्देश देती है कि अपील पहले से स्थापित अदालत में की जाएगी तो उस अपील को उस न्यायालय की रीति और प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।

(iii) उच्च न्यायालय अपने अंतर-न्यायालय अपील क्षेत्राधिकार को उस चार्टर के अधीन प्राप्त करता है जिसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था और लेटर्स पेटेंट के अधीन इसकी शक्तियों को भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108, इसलिए, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 223 और अंततः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 द्वारा मान्यता दी गई और सहेजा गया। उच्च न्यायालय को उसके लेटर्स पेटेंट क्षेत्राधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि

किसी विशेष क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से प्रदान न किया गया हो।

(अ) यदि एकल न्यायाधीश की घोषणा किसी क़ानून द्वारा बनाई गई किसी भी बाधा के अभाव में, ष्निर्णयष् के रूप में होता है। स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, यह उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के प्रासंगिक खंड के अधीन अपील के अधीन होगा।

(आ) चूंकि धारा 104;1द्ध सीपीसी विशेष रूप से लेटर पेटेंट अपील को सहेजती है इसे केवल धारा 104;2द्ध में स्पष्ट उल्लेख द्वारा ही बाहर रखा जा सकता है। धारा 104;2) में किसी भी स्पष्ट उल्लेख के अभाव में, धारा 104;1) के आधार पर एक लेटर पेटेंट अपील की रखरखाव को सहेजा जाता है।

(i) किसी क़ानून में किसी प्रावधान के अभाव में अपील के अधिकार की सीमा का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। किसी वरिष्ठ न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि एक अधीनस्थ न्यायालय अपने विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

(ii) उपर्युक्त नियम का अपवाद वह है जहां विशेष अधिनियम एक स्व.निहित संहिता निर्धारित करता है और उस स्थिति में सामान्य कानून प्रक्रिया की प्रयोज्यता को निहित रूप से बाहर रखा जाएगा। स्पष्ट प्रावधान में लेटर पेटेंट शब्दों का उल्लेख या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है,

लेकिन यदि प्रावधान को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि आगे की सभी अपीलें वर्जित हैं तो यहां तक कि एक लेटर पेटेंट अपील भी वर्जित होगी।

17. इसके बाद न्यायालय ने अधिनियम 1996 की धारा 50 का उल्लेख किया और इस क्षेत्र में पहले के फैसलों का विश्लेषण किया, जिसमें भारत संघ बनाम मोहिंदरा सप्लाई कंपनी का फैसला भी शामिल है, जिसमें यह माना गया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39;1) के अधीन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा ;2) के संदर्भ में सुनवाई योग्य नहीं थी। हालांकि अपील को सुनवाई योग्य नहीं माना गया था। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 की उप-धारा ; 2) में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा में, दो न्यायमूर्तिगण की पीठ ने निम्नलिखित प्रभाव वाली टिप्पणी पर ध्यान दिया.

मध्यस्ता से संबंधित कार्यवाही, 1940 के मध्यस्थता अधिनियम 10 के अधिनियमन के बाद से, उस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। यह अधिनियम एक समेकित और संशोधित क़ानून है। इसने 1899 के मध्यस्थता अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता की अनुसूची 2 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104;1) के खंड ;(ए) से ;(एफए) जो मध्यस्थता कार्यवाही में आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान करते थे, को निरस्त कर दिया। अधिनियम सभी संविदात्मक मध्यस्थताओं के लिए मशीनरी स्थापित करता है और इसके प्रावधान, कुछ अपवादों के अधीन,

किसी अन्य अधिनियम के अधीन हर मध्यस्थता पर भी लागू होते हैं, जैसे कि एक मध्यस्थता समझौते के अनुसार और जैसे कि वह अन्य अधिनियम एक मध्यस्थता समझौता था, सिवाय इसके कि मध्यस्थता अधिनियम उस अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के साथ असंगत है।

18. संविधान पीठ के सथप्पन ;सुप्रा के निर्णय की सराहना एवं उक्त प्राधिकारी पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनाया।

इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940, अपनी स्थापना से लेकर 2004 तक ;पी.एस. सथप्पन में एक स्व-निहित संहिता माना जाता है। अब यदि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को मध्यस्थता से संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता माना जाता था तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, जो मध्यस्थता से संबंधित कानून को समेकित, संशोधित और डिज़ाइन करता है, को और अधिक बनाए रखने के लिए जितना संभव हो, यूएनसआईटआरएएल मॉडल के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा और अधिक होने के लिए। एक बार जब यह माना जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता और संपूर्ण है, तो इसे तुलजापुरकर, जे की स्पष्ट अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए भी माना जाना चाहिए, कि यह अपने साथ एक नकारात्मक आयात करता है जो केवल अधिनियम में उल्लिखित ऐसे कार्यों को करने की अनुमति है और जिन कार्यों या चीजों का उसमें

उल्लेख नहीं किया गया है उन्हें करने की अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक लेटर पेटेंट अपील को सामान्य सिद्धांतों में से एक के आवेदन से बाहर रखा जाएगा जहां विशेष अधिनियम एक स्व-निहित संहिता निर्धारित करता है, सामान्य कानून प्रक्रिया की प्रयोज्यता को निहित रूप से बाहर रखा जाएगा।

प्रभाव

19. न्यायालय द्वारा पहुँचा गया अंतिम निष्कर्ष निम्नलिखित है

> 90. इस प्रकार, हम दो अलग-अलग तरीकों से एक लेटर पेटेंट अपील के अपवर्जन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचते हैंय एक, ऐसा कहने के लिए, अधिनियम 1996 की धारा 49 और 50 द्वारा तैयार की गई योजना और अधिनियम 1961 की धारा 6 के अधीन अपील के पहले प्रावधान में आमूल चूक परिवर्तन की जांच करके सुक्ष्म आधार और अधिनियम 1996 की प्रकृति और चरित्र को अपने आप में एक स्व-निहित और संपूर्ण संहिता के रूप में ध्यान में रखते हुए व्यापक आधार पर।
>
> 91. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, यह अवश्य माना जाना चाहिए कि किसी आदेश के खिलाफ कोई पेटेंट अपील नहीं होगी जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 50 के अधीन अपील योग्य नहीं है।

20. मौजूदा मामले में कार्यवाही विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष शुरू की गई थी। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अधिनियम 1996 की धारा 47 की उपधारा ;2 की व्याख्या में संशोधन किया गया। संशोधित स्पष्टीकरण इस प्रकार है। स्पष्टीकरण इस अनुभाग में और इस अध्याय के निम्नलिखित अनुभागों में न्यायालय का अर्थ है उच्च न्यायालय के पास मध्यस्थता पंचाट की विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्नों का निर्णय करने का मूल क्षेत्राधिकार है, यदि वह उसके मूल दीवानी क्षेत्राधिकार पर एक दावे का विषय-वस्तु रहा हो और अन्य मामलों में, उच्च न्यायालय में ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के डिक्री से अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र होता है।

21. संशोधन के बावजूद, विद्वान जिला न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया। तथापि, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का रूख किया और विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया कि जिला न्यायाधीश के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और उसेके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को उठाया और आदेश पारित किया। खंडपीठ ने अपने आदेश में अधिनियम की धारा 13;1) का हवाला दिया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः-

13 (1) वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख

से साठ दिनों की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील कर सकता हैः बशर्ते कि अपील किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अदालत द्वारा पारित ऐसे आदेशों के खिलाफ की जाएगी जो विशेष रूप से इस अधिनियम द्वारा संशोधित नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत गिनाए गए हैं।

22. उक्त प्रावधान के आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है तो अपील की जा सकती है। उक्त प्रावधान को अधिनियिम की धारा 5 के साथ जोड़कर पढा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 5 इस प्रकार हैः

(5;1) धारा 3 की उपधारा ;1 के तहत अधिसूचना जारी करने या धारा 4 की उपधारा ;1 के तहत आदेश जारी करने के बाद, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आदेश द्वारा, एक या अधिक खण्ड पीठ वाले वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन करेंगे। अधिनियम द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करने का उद्देश्य।

2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के न्यायाधीश के रूप में नामित करेंगे जिनके पास वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव है।

23. उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि एक फोरम बनाया जाता है, अर्थात् वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग। अधिनियम 1996 की धारा

50;1(ख) अपील का प्रावधान करती है। 23.10.2015 को लागू हुये अधिनियम द्वारा धारा 50;1 द्ध;खद्ध में संशोधन नहीं किया गया है। इस प्रकार खण्ड पीठ के समक्ष अधिनियम 1996 की धारा 50;1(ख) के तहत अपील सुनवाई योग्य है।

24. इस प्रकार विश्लेषण करने पर, हम पाते हैं कि 1996 के अधिनियम की धारा 50;1(ख) के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश का आक्षेपित निर्णय उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में पारित हुआ है। जो भी हो, अधिनियम की धारा 13 के तहत एकल न्यायाधीश ने निर्णय लिया है। धारा 13 लेटर्स पेटेंट के तहत अपील पर रोक लगाती है जब तक कि अधिनियम 1996 के तहत अपील प्रदान नहीं की जाती है। ऐसी अपील अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रदान की जाती है। यदि अधिनियम 1996 की धारा 50 में अपील का प्रावधान नहीं होता तो लेटर्स पेटेंट अपील लागू नहीं की जा सकती थी। लेकिन यह अपील का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 5 और 13 तथा 1996 के अधिनियम की धारा 50 जो कि अब तक संशोधित नहीं हुई है, का एक सारांश पढ़ने से यह अनूठा निष्कर्ष निकलता है कि एक लेटर पेटेंट अपील खण्ड पीठ के समक्ष विचारणीय है। इसे 1996 के अधिनियम की धारा 50;1 (ख) के तहत एक अपील के रूप में माना जाना चाहिए और उक्त मापदण्डों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।

25. परिणामस्वरूप, हम विभिन्न कारणों से उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं। तदनुसार, अपीलें खर्च के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज की जाती है।

देविका गुजराल

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शाईस्ता लोधी, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।